फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

केस संख्या [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/2/23	[illegible] धारा 131, 132, 136 एम. आर. एक्ट के प्रावधानों के आधार पर स्वीकार किया जाता अंतिम समाप्त हो। अपीलार्थी के द्वारा अपील धारा 131, 132, 136 एम. आर. एक्ट के प्रावधानों के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय निर्णय से लिखा जाकर शामिल किया जाता है अपीलकर्ता के अपीलार्थी के [illegible] होकर गलत से [illegible] होकर शामिल करते हैं	

उपखण्ड अधिकारी
धमतरी, जिला-रायपुर